

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक 727

पटना, दिनांक 12/19

सं०सं०-03/उ०नि०/निःशक्तता (दिव्यांगजन)-04-25/2018

प्रेषक :-

स्मार पत्र

नोडल पदाधिकारी,
निःशक्तता (दिव्यांगजन)
-सह-
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. श्री एस०एन० राम,
संयुक्त उद्योग निदेशक,
(पी०एम०ई०जी०पी०/कौशल विकास प्रभारी)
2. श्री उमेश कुमार सिंह,
उप उद्योग निदेशक,
औद्योगिक प्रोत्साहन प्रभारी
3. श्री संजीत कुमार,
उप उद्योग निदेशक
(SIPB प्रभारी)
4. सभी महाप्रबंधक, (वैशाली को छोड़कर)
जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित विविध सुसंगत धाराओं के बिहार राज्य में अनुपालन स्थिति से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 (31 मार्च, 2018 तक) का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- उद्योग निदेशालय पत्रांक-285 दिनांक-14.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक सं०सं०-06/रा०आ०नि०(प्रति)-05/2018/672/आ०नि०को० दिनांक-11.09.2018 की प्रति संलग्न करते हुए पत्र में अंकित विभिन्न बिन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन वांछित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

चिश्वासभाजन,

ह०/-

नोडल पदाधिकारी,
निःशक्तता (दिव्यांगजन)
-सह-
उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर आयुक्त निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र सं०-स०सं०-06/रा०आ०नि० (प्रति)-05/2018/672/आ०नि०को० दिनांक 11.09.2018 के संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

नोडल पदाधिकारी,
निःशक्तता (दिव्यांगजन)
-सह-

उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 12/9/18

ज्ञापांक 727 /

प्रतिलिपि :- आई०टी प्रबंधक, उद्योग विभाग को पत्र की प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

30/09/18

नोडल पदाधिकारी,
निःशक्तता (दिव्यांगजन)
-सह-

उप उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।